

व्यावसायिक योजना

आय सृजन गतिविधि - केंचुआ खाद उत्पादन
दुर्गा माता - स्वयं सहायता समूह रंगोल



एसएचजी/सीआईजी का नाम	::	दुर्गा माता
वीएफडीएस का नाम	::	रंगोल
वन परिक्षेत्र	::	तारादेवी
वन मण्डल	::	शिमला



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार
परियोजना
(JICA द्वारा वित्त पोषित)

के तहत तैयार:

विषयसूची

क्रमांक	विवरण	पेज नं.
1	पार्श्वभूमि	3
2	SHG/CIG का विवरण	4
3	लाभार्थियों का विवरण	5
4	गांव का भौगोलिक विवरण	6
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	6-7
7	उत्पादन योजना	7
8	बिक्री और विपणन	7-8
9	स्वोट अनालिसिस	8-9
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	9
11	अर्थशास्त्र का विवरण	10-11
12	आर्थिक विश्लेषण का अनुमान	12
13	फंड की आवश्यकता	13
14	फंड के स्रोत	13
15	बैंक ऋण चुकौती	14
16	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	14
17	निगरानी विधि	15
18	समूह सदस्य तस्वीरें	16

सरल उत्पादन तकनीकों, पारिस्थितिक, आर्थिक और इससे जुड़े मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग देश में एक मजबूत मुकाम हासिल कर रहा है। विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, उद्यमियों द्वारा सरकार के समर्थन के तहत, वर्मीकम्पोस्टिंग इकाइयों की एक महत्वपूर्ण संख्या स्थापित की गई है।

वर्मीकम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो अपने स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

कृमि खाद

केंचुओं को पालने/उपयोग करके कम्पोस्ट का उत्पादन वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत, केंचुए बायोमास खाते हैं और इसे पचे हुए रूप में उत्सर्जित करते हैं जिसे वर्मीकम्पोस्टिंग या वर्मीकम्पोस्ट के रूप में जाना जाता है। यह छोटे और बड़े पैमाने के किसानों दोनों के लिए खाद के उत्पादन के लिए सबसे सरल और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि में स्थापित की जा सकती है जो किसी भी आर्थिक उपयोग के अधीन नहीं है बल्कि छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त है। स्थल भी जल संसाधन के निकट होना चाहिए।

वर्मीकम्पोस्टिंग, जिसे सही मायने में "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता खेती की लागत को कम करती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मीकम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

1. एसएचजी / सीआईजी . का विवरण

एसएचजी/सीआईजी का नाम	::	दुर्गा माता
वीएफडीएस	::	रंगोल
वन परिक्षेत्र	::	तायदेवी
वन मण्डल	::	शिमला
गांव	::	रंगोल
खंड	::	टुटू
जिला	::	शिमला
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	10
गठन की तिथि	::	08-01-2021
बैंक खाता संख्या	::	40298267284
बैंक विवरण	::	एसबीआई गेच कोहबाग
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	100/-
कुल बचत		5400/-
कुल अंतर-ऋण		शून्य
नकद ऋण सीमा		-
चुकोती स्थिति		-

2. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम	पिता/ पति का नाम	आयु	श्रेणी	आय स्रोत	पता
1	श्रीमती धनवंती	श्री सतीश कुमार	34	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
2	श्रीमती कविता देवी	श्री अनिल चौहान	29	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
3	श्रीमती मीरा चौहान	श्री करम चंद	47	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
4	श्रीमती आशा	श्री कली राम	45	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
5	श्रीमती लाज्या देवी	श्री सूरत राम	48	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
6	श्रीमती बिमला देवी	श्री भरत राम	52	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
7	श्रीमती सरोज चौहान	श्री सीस राम	44	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
8	श्रीमती ज्योति चौहान	श्री प्रमोद चौहान	34	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
9	सोमा चौहान	श्री कृष्ण लाल	48	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग
10	श्रीमती कविता चौहान	श्री बलवीर चौहान	42	जनरल	कृषि	गांव _ रंगोल पीओ कोहबाग

3. गांव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	30 किमी
3.2	मेन रोड से दूरी	::	7 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	घनाहट्टी, 12 किमी, धामी 10 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम और दूरी	::	शिमला, 30 किमी
3.5	मुख्य शहरों के नाम और दूरी	::	शिमला, 30 किमी
3.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	एचपी वन विभाग और शिमला

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	::	केंचुआ खाद
4.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है और समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय किया गया है
4.3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हां

5. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

चरण		विवरण
चरण 1	::	प्रसंस्करण जिसमें कचरे का संग्रह, कतरन, धातु का यांत्रिक पृथक्करण, कांच और चीनी मिट्टी की चीज़ें और जैविक कचरे का भंडारण शामिल है।
चरण 2	::	पशुओं के गोबर के घोल के साथ सामग्री को ढेर करके बीस दिनों के लिए जैविक कचरे का पूर्व पाचना यह प्रक्रिया आंशिक रूप से सामग्री को पचाती है और केंचुआ खपत के लिए उपयुक्त है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस के घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं करना चाहिए।
चरण 3	::	केंचुआ बिस्तर तैयार करना। वर्मी -कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी कीड़े को मिट्टी में जाने देगी और पानी देते समय, सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाते हैं।
चरण 4	::	वर्मी कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कम्पोस्ट की गई सामग्री को अलग करने के लिए कम्पोस्ट की गई सामग्री को छान लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट की

चरण		विवरण
		गई सामग्री को फिर से वर्मी कम्पोस्ट बेड में डाल दिया जाएगा।
चरण-5	::	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ने देने के लिए वर्मी -कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करना।

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (वर्ष में तीन चक्र)
6.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (सं)	::	1
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घर और अपने खेतों से
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	खुला बाजार
6.5	कच्चा माल - आवश्यक मात्रा प्रति चक्र (किलो) प्रति सदस्य	::	1800 किलो प्रति चक्र
6.6	प्रति सदस्य प्रति चक्र (किलो) अपेक्षित उत्पादन	::	900 किलोग्राम प्रति चक्र

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाजार स्थान	::	एचपी वन विभाग स्थानिय बाजार
7.2	इकाई से दूरी	::	अपने खेत पर प्रयोग करें
7.3	बाजार में उत्पाद की मांग / एस	::	एचओ वन विभाग उनकी नर्सरी के लिए विशाल वर्मी - कम्पोस्ट खरीद रहा है
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	पीएमयू हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वर्मी -कम्पोस्ट की खरीद की सुविधा प्रदान करेगा।
7.5	उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति		एसएचजी सदस्य भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्प तलाशेंगे।
7.6	उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस IGA को वलस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
7.7	उत्पाद "नाम"		"प्रकृति के अनुकूल"

8. स्वोट अनालिसिस

❖ ताकत

- ➔ गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है
- ➔ एसएचजी के प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक के मवेशी हैं
- ➔ एसएचजी सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं जो पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक कचरे की पर्याप्त उपलब्धता प्रदान करते हैं।
- ➔ उनके खेतों में आसानी से उपलब्ध कच्चा माल
- ➔ निर्माण प्रक्रिया सरल है
- ➔ उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
- ➔ परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
- ➔ उत्पाद आत्म-जीवन लंबा है

❖ कमज़ोरी

- ➔ विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
- ➔ तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ मौका

- ➔ जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की बढ़ती मांग
- ➔ वर्मी -कम्पोस्ट का अपने खेत में प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार और वृद्धि तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों का उत्पादन होगा जो बेहतर मूल्य प्रदान करेगा।
- ➔ रसोई घर से बाहर रह गए घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
- ➔ एचपी फॉरेस्ट के साथ मार्केटिंग गठजोड़ की संभावना

❖ जोखिम

- ➔ अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
- ➔ प्रतिस्पर्धी बाजार
- ➔ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता का स्तर

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- ➔ उत्पादन - कच्चे माल की खरीद सहित व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा
- ➔ गुणवत्ता आश्वासन - सामूहिक रूप से
- ➔ सफाई और पैकेजिंग - सामूहिक रूप से
- ➔ मार्केटिंग - सामूहिक रूप से
- ➔ इकाई की निगरानी - सामूहिक रूप से

10. अर्थशास्त्र का विवरण

(राशि वास्तविक रु. में)

क्रमांक	विवरण	इकाइयों	मात्रा / संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
ए	पूँजी लागत								
ए.1	गड्ढे और शेड का निर्माण								
1	गड्ढे निर्माण के साथ-साथ श्रम लागत (आंतरिक गड्ढे का आकार 10ftX4ftX2ft होगा)	प्रति सदस्य	10	6000	60000	0	0	0	0
2	कवर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	10	4000	40000				
	उप-कुल (ए.1)				100000	0	0	0	0
.2	उपकरण और औजार								
3	उपकरण, उपकरण, वजन पैमाने आदि।	प्रति सदस्य	10	2000	20000	0	0	0	0
	उप-कुल (ए.2)				20000	0	0	0	0
	कुल पूँजीगत लागत (ए.1+ए.2)				120000	0	0	0	0
बी	आवर्ती लागत								
4	बीज केंचुआ	प्रति किलो	10	500	5000	0	0	0	0
5	गारा/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	54	900	48600	51030	53582	56261	59074
6	श्रम लागत	प्रति टन	27	700	18900	19845	20837	21879	22973
7	पैकिंग सामग्री	नहीं	4000	2	8000	8400	8820	9261	9724

11.

8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	27	150	4050	4253	4465	4688	4923
सी	अन्य शुल्क								
9	बीमा	एल/एस			0	0	0	0	0
10	ऋण पर ब्याज	प्रति वर्ष		2 प्रतिशत	3000	3000	3000	3000	3000
	कुल आवर्ती लागत				87550	86528	90704	95089	99694
	कुल लागत = पूंजी और आवर्ती				207550	86528	90704	95089	99694
डी	वर्मी कम्पोस्टिंग से आय								
11	वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री	टन	27	6000	162000	170100	178605	187535	196912
12	केंचुआ की बिक्री					5000	10000	10000	10000
13	कुल राजस्व				162000	175100	188605	197535	206912
14	शुद्ध रिटर्न (सीबी)				74450	88572.5	97901.1	102446	107218

नोट - चूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उनके स्थान पर पहले से उपलब्ध घोल / गोबर / अपशिष्ट और ये सामग्री उनके द्वारा प्राप्त नहीं की जाएगी, इसलिए, आवर्ती लागत (श्रम लागत, घोल / गोबर / अपशिष्ट की खरीद की लागत) की कुल आवर्ती लागत से कटौती की जा सकती है।

आर्थिक विश्लेषण

क्रमांक	विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	
1	पूंजी लागत	120000	0	0	0	0	
2	आवर्ती लागत	87550	86528	90704	95089	99694	
3	कुल लागत	207550	86528	90704	95089	99694	579564
4	कुल लाभ	162000	175100	188605	197535	206912	930152
5	शुद्ध लाभ	-45550	88573	97901	102446	107218	350588
6	लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	579564					
7	लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	930152					
8	लाभ लागत अनुपात	1.60					

शुद्ध लाभ का वितरण - उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार।

12. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- ➔ प्रत्येक सदस्य के लिए गड्डे का आकार 10X4X2 फीट की योजना बनाई गई है।
- ➔ वर्मी कम्पोस्ट की उत्पादन लागत रु. 3.2 प्रति किग्रा
- ➔ वर्मी -कम्पोस्ट (रूढ़िवादी पक्ष) की बिक्री रु. 6 प्रति किलो
- ➔ रुपये का शुद्ध लाभ होगा 2.7 प्रति किग्रा
- ➔ यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 2.7 टन वर्मी -कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप 27 टन का उत्पादन होगा एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 10 सदस्यों द्वारा वर्मी -कम्पोस्ट।
- ➔ केंचुआ की कीमत रुपये रखी गई है। 500.00 प्रति किग्रा
- ➔ दूसरे दूसरे वर्षों के दौरान , बिक्री के लिए अतिरिक्त मिट्टी का काम होगा (क्योंकि यह वर्मी -कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कई गुना बढ़ जाएगा)
- ➔ वर्मी - खाद बनाना एक लाभदायक IGA है और इसे SHG सदस्यों द्वारा लिया जा सकता है।

13. फंड की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना का समर्थन	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	120000	90000	30000
2	कुल आवर्ती लागत	87550	0	87550
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	50000	50000	0
	कुल =	257550	140000	117550

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत - पूंजीगत लागत का 75% परियोजना के तहत कवर किया जाएगा
- आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाना।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

14. फंड के स्रोत:

परियोजना का समर्थन;	<ul style="list-style-type: none"> • पूंजीगत लागत का 75% पिट और शेड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10ftX4ftX2ft होगा) • SHG बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक जमा किए जाएंगे। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत। • डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की 	की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा सभी औपचारिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद की जाएगी।
---------------------	--	--

	सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। एसएचजी को मूल राशि की किश्तों का भुगतान नियमित आधार पर करना होता है।	
एसएचजी योगदान	<ul style="list-style-type: none"> • पूंजीगत लागत का 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत 	

15. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूलधन का बैंकों को साल में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।
- परियोजना सहायता - डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। SHG/CIG को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

16. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ➔ परियोजना अभिविन्यास समूह का गठन/पुनर्गठन
- ➔ समूह अवधारणा और प्रबंधन
- ➔ आईजीए (सामान्य) का परिचय
- ➔ विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- ➔ बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम विकास
- ➔ एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा - राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

17. निगरानी तंत्र

- ➔ वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।

- ➔ एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

समूह के सदस्यों की तस्वीरें -



Submitted to DMU through FTU

Vikram (Signature)
Name & Signature of FTU Officer

Pratibha Sharma (Signature)
Name & Signature of FTU Coordinator

Approved

(Signature)
DFO-cum-DMU OFFICER
JICA FORESTRY Project
SHIMLA

Name & Signature of DMU Officer